257 23 रोग अवकाश के भुनाने पर ऑडिट द्वारा स्पष्टीकरण माँगा जाना।

अधोहस्ताक्षरित को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त में उल्लेखित विषय पर रक्षा उत्पादन विभाग के का.ज्ञा. संख्या 25/1/2012/डी(बीईएल), दिनांकः 19/26 नवम्बर, 2012 एवं सम संख्या का डीपीई पत्र, दिनांकः 17.07.2012 का अवलोकन करें और यह व्यक्त करें कि डीपीई ने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में रोग अवकाश के अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के लिए सीपीएसई को कोई दिशानिर्देश निर्गत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, केवल उपार्जित अवकाश (डीपीई का.ज्ञा., दिनांकः 24.04.1987, 05.08.2005, 10.12.2008 एवं 26.10.2010 के अनुसार) के अग्रिम भुगतान के लिए भी दिशनिर्देश निर्गत किया गया है। इसलिए, कुछ सीपीएसई द्वारा रोग अवकाश के अग्रिम भुगतान को सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा समाविष्ट नहीं किया गया है और इसे आरम्भ से ही अमान्य करार दिया गया है।

(डीपीई का. ज्ञा. **2(14)/2012/डीपीई(डब्ल्यूसी)जीएल–XXI/12, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012)**

*****